राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर

आदेशिका

दिनांक 21.02.2019 परिवाद संख्या 2014/29/3483

समक्ष : एकलपीठ

माननीय अध्यक्ष : न्यायमूर्ति श्री प्रकाश टाटिया

राज्य आयोग के निर्देश से आयोग में पदस्थापित अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस के कार्यालय से जांच कराई गई। पत्रावलियों को आदेशार्थ प्रस्तुत किये जाने के निर्देशानुसार यह पत्रावली आज दिनांक 21 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत की गई।

राज्य आयोग में पदस्थापित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट आयोग में प्रस्तुत किये जाने के पश्चात आयोग द्वारा आदेश दिनांक 16 फरवरी, 2017 से जिला पुलिस अधीक्षक, सीकर को तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित कर आरोपी अधिकारीगण द्वारा जांच रिपोर्ट पर आयोग में पक्ष रखने हेतु आरोपी अधिकारीगण पर तामील करवाने हेतु प्रेषित की गई। इस आदेश की पालना में जिला पुलिस अधीक्षक, सीकर द्वारा अपने पत्र दिनांक 31 मार्च, 2017 से आयोग को अवगत कराया गया कि जांच रिपोर्ट में आरोपित श्री सायर सिंह पलसानियां, तत्कालीन थानाधिकारी, पुलिस थाना दांतारामगढ, जिला सीकर पर आयोग की जांच रिपोर्ट की तामील कराई जा चुकी है। तत्समय श्री सायरसिंह पलसानियां जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में पदस्थापित थे उनके द्वारा अपने पत्र

दिनांक 30 मार्च, 2017 से आयोग की जांच रिपोर्ट पर अपना पक्ष रखने हेतु 15 दिन का अतिरिक्त समय चाहा गया, ताकि वे सम्बन्धित पुलिस थाने के रिकॉर्ड का अवलोकन कर जवाब प्रस्तुत कर सके। परन्तु उक्त श्री सायरसिंह पलसानियां, पुलिस निरीक्षक द्वारा आयोग में लगभग 02 वर्ष पश्चात भी अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। यही नहीं, उक्त श्री सायरसिंह पलसानियां को जिला पुलिस अधीक्षक, सीकर द्वारा पुनः अपने पत्र दिनांक 05 अप्रैल, 2018 से राज्य आयोग की जांच रिपोर्ट पर एक वर्ष में भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर स्मरण पत्र जारी किया गया, परन्तु इसके बावजूद भी उक्त श्री सायरसिंह द्वारा अब तक आयोग को जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। श्री सायरसिंह द्वारा एक पत्र बिना तारीख का राज्य आयोग को जरिये ईमेल दिनांक 15 जून, 2018 प्रेषित कर आयोग को अवगत कराया कि उक्त श्री सायरसिंह, पुलिस निरीक्षक, **"राजकार्य में अत्यधिक व्यस्त होने के कारण प्रार्थी संबंधित रिकॉर्ड का अवलोकन आज दिनांक तक नहीं कर पाया।"** श्री सायरसिंह पलसानियां द्वारा ईमेल दिनांक 15 जून, 2018 से एक माह का समय चाहा गया, परन्तु पूर्व की भांति उक्त पुलिसकर्मी द्वारा या तो कार्य की अधिकता का झूंठा बहाना बनाया गया है या फिर उक्त पुलिसकर्मी अपने सेवाकार्य को करने में असक्षम है। **अतः इस आदेश एवं आयोग की जांच रिपोर्ट (पृष्ठ संख्या 133-143) की प्रतिलिपि महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित की जावे, ताकि महानिदेशक पुलिस, राजस्थान उक्त आरोपी पुलिस निरीक्षक श्री सायरसिंह को पुलिस लाईन में पदस्थापित कर सकें।** क्योंकि पुलिस

निरीक्षक श्री सायरसिंह के अनुसार, वह स्वयं राजकार्य में व्यस्त ही नहीं होकर अस्त–व्यस्त हो चुका है और स्वयं के ऊपर जांच में प्रमाणित आरोपों का जवाब देने में भी असमर्थ है।

चूंकि आरोपी श्री सायरसिंह, पुलिस निरीक्षक, तत्कालीन थानाधिकारी पुलिस थाना दांतारामगढ, जिला सीकर द्वारा 02 वर्ष की अवधि में भी अपना पक्ष नहीं रखा गया है, जबकि जांच रिपोर्ट में तथ्यों पर विचार किया जाकर निश्चित निष्कर्ष दिया जा चुका है कि :–

1. **थानाधिकारी, दांतारामगढ द्वारा परिवादी को विपक्षी श्री प्रशान्त दादूपंथी पक्ष के दबाव में आकर द्वेषतापूर्ण तरीके से धारा 151 सीआरपीसी में बन्द करना पाया गया।**

2. **परिवादी श्री मालीराम मीणा के साथ थानाधिकारी, दांतारामगढ द्वारा मारपीट करना और मारपीट से चोट आना प्रमाणित पाया गया है तथा परिवादी श्री मालीराम मीणा ने जिला पुलिस अधीक्षक, सीकर से दिनांक 24 जुलाई, 2014 को एवं श्री पी.के. व्यास, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (विजिलेंस), राजस्थान, जयपुर से दिनांक 07 अगस्त, 2014 को जयपुर में तथा जिला कलक्टर, सीकर को दिनांक 31 जुलाई, 2014 को चोटें दिखाकर ज्ञापन दिया गया, उसके बावजूद भी परिवादी को कोई न्याय प्रदान नहीं किया गया।**

3. **जांच रिपोर्ट के अनुसार परिवादी श्री मालीराम मीणा द्वारा दिनांक 22 जुलाई, 2014 को तत्कालीन थानाधिकारी, पुलिस थाना दांतारामगढ, जिला सीकर को जो रिपोर्ट पेश की गई थी उस पर**

उक्त थानाधिकारी द्वारा नियमानुसार अभियोग दर्ज नहीं किया गया। अतः अग्रिम कार्यवाही नहीं हो सकी।

4. **उक्त श्री सायरसिंह पलसानियां, पुलिस निरीक्षक, तत्कालीन थानाधिकारी, पुलिस थाना दांतारामगढ द्वारा मिलिभगत कर चोट प्रतिवेदन में गलत समय अंकित करवाकर कूटरचित दस्तावेज तैयार किया गया।**

अतः महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर उपर्युक्त आरोपी श्री सायरसिंह पलसानियां, पुलिस निरीक्षक, तत्कालीन थानाधिकारी, पुलिस थाना दांतारामगढ, जिला सीकर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करें, राज्य आयोग अनुशंषा करता है।

चूंकि उपुर्यक्त परिवादी श्री मालीराम के मानव अधिकार हनन के आरोप व तथ्य, प्रशासन में जिला कलक्टर, सीकर तथा राज्य पुलिस में पुलिस के उच्चाधिकारियों की जानकारी में होने के बावजूद परिवादी के मानव अधिकार हनन के प्रकरण में राज्य सरकार व राज्य सरकार के अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा प्रशासनिक व पुलिस कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार ऊपर वर्णित एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट में वर्णित कारणों से परिवादी श्री मालीराम के मानव अधिकारों का हनन होना प्रमाणित है। **अतः राज्य सरकार परिवादी श्री मालीराम पुत्र श्री गणपतराम, जाति मीणा, निवासी भूरडों का बास, पुलिस थाना दांतारामगढ, जिला सीकर को क्षतिपूर्ति राशि रूपये 2,00,000/- (अक्षरे दो लाख रूपये) अदा करें, राज्य आयोग अनुशंषा करता है।**

यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त हर्जाने की राशि आरोपी श्री सायरसिंह पलसानियां, पुलिस निरीक्षक, तत्कालीन थानाधिकारी, पुलिस थाना दांतारामगढ, जिला सीकर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अथवा विभागीय कार्यवाही के निर्णय पर निर्भर नहीं रहेगी। हालांकि राज्य सरकार उक्त राशि विधि अनुसार श्री सायरसिंह पलसानियां, पुलिस निरीक्षक, तत्कालीन थानाधिकारी, पुलिस थाना दांतारामगढ, जिला सीकर से वसूल करने के लिए स्वतन्त्र है, परन्तु हर्जाने के राशि स्वयं राज्य सरकार द्वारा 02 माह में अदा की जायेगी, अन्यथा हर्जाने की राशि पर 02 माह की अवधि के पश्चात 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय होगा।

जांच रिपोर्ट (पृष्ठ संख्या 133-143) तथा इस आदेश की प्रतिलिपि अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर को भी प्रेषित की जावे।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर विधि अनुसार आरोपी चिकित्सक के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करें, राज्य आयोग अनुशंषा करता है।

प्रकरण इन निर्देशों/अनुशंषाओं के साथ समाप्त किया जाता है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश टाटिया)
अध्यक्ष